पत्र संख्या-बजट-37-अनाच्छादित(15-06-18)-मु0व्य0दु0बी0यो0(2018-19)// 1059 //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,

(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक ::: 14-12-,2018

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0/कारपोरेट सर्किल)
वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।

विषय:- पंजीकृत व्यापारियों के हित में लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की बाधित अवधि दिनांक 15-06-2018 से वर्तमान तक के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने विषयक।

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-878 दिनांक 01-11-2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की बाधित अवधि **दिनांक 15-06-2018 से वर्तमान तक के बीमा दावा प्रकरण में अपेक्षा की गयी थी कि** उक्त अवधि में कोई भी बीमा कम्पनी इस योजना हेतु अनुबन्धित नही रही है। ***अतएवं उक्त इंगित बाधित अवधि से सम्बन्धित समस्त प्रकरण जो आपके कार्यालय में प्राप्त हुए है अथवा प्राप्त होते है तो ऐसे समस्त प्रकरणों को अपने स्तर से परीक्षणोपरान्त, देयता की स्थिति बनने पर बिन्दुवार अपनी रिपोर्ट एवं संस्तुति सहित मुख्यालय को प्रेषित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।***

प्राय: देखने में आया है कि आप द्वारा उक्त अवधि से सम्बन्धित प्रकरण को सीधे बीमा कम्पनी सर्वश्री दि ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लि0, मण्डलीय कार्यालय-2, नवॉ तल, विकास दीप भवन, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ को प्रेषित किये जा रहे है तथा पृष्ठांकन वाणिज्य कर मुख्यालय को किया जा रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि सम्भागों द्वारा मुख्यालय के निर्देश का पालन नही किया जा रहा है।

अत: आपको पुन: निर्देशित किया जाता है कि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की बाधित अवधि **दिनांक 15-06-2018 से वर्तमान तक से सम्बन्धित प्रकरण में** पत्र के साथ संलग्न चेकलिस्ट में उल्लिखित बिन्दुओं पर ***अपने स्तर से परीक्षणोपरान्त, देयता की स्थिति बनने पर बिंदुवार अपनी रिपोर्ट एवं संस्तुति सहित आख्या मुख्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।***

संलग्नक:-यथोपरि।

(शैलेश गिरि)
एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के अनुपालन हेतु अपने स्तर से निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित उक्त पत्र को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

to jc.doc

जॉच के बिन्दु / चेकलिस्ट :-

1- क्लेम फार्म पूर्ण रुप से भरा है अथवा नही।

2- बीमा शर्तो के अनुसार क्लेम मृतक की पति/पत्नी द्वारा किया गया है, यदि मृतक अविवाहित है तो क्लेम पिता द्वारा किया गया है, यदि पिता नही है तो माता द्वारा किया गया है। यदि किसी अन्य द्वारा क्लेम किया गया है तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नही।

3- एफ0आई0आर0, मृत्यु प्रमाण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रथम गवाह की रिपोर्ट तथा पंचनामा रिपोर्ट संलग्न है अथवा नही।

4- फार्म-11 पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नही।

5- दावेदार का पहचान पत्र, पैन कार्ड की प्रति तथा दावेदार का बैक विवरण या कैसिंल चेक की प्रति संलग्न है अथवा नही।

6- मृत्यु का कारण :- हत्या/ दुर्घटना/ आत्महत्या/ स्वाभाविक

7- यदि मृत्यु हत्या के कारण हुई है तो पुलिस फाइनल रिपोर्ट संलग्न है अथवा नही।

8- यदि मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई है तो क्या किसी बीमा कम्पनी द्वारा किसी प्रकार का कोई भुगतान किया गया है अथवा नही। यदि हॉ तो भुगतान के सम्बन्ध में साक्ष्य की प्रति।

नोट :- उक्त सभी प्रपत्रों को ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0)/खण्डाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।